

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 11/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी अनुराग जैन
क्षेत्रीय कार्यालय:- तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर,
राजस्थान-302017

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. प्रशांत एंटरप्राइजेज (प्रतिनिधित्व मालिक अशोक कुमार चौधरी)
प्रथम पता:-रींगस बाजार, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान
द्वितीय पता:-वार्ड नंबर 23, श्रीमाधोपुर, पट्टा नं. 144, वार्ड नं. 31 (न्यू), स्वामियों
की ढाणी, सीकर, राजस्थान
2. अशोक कुमार चौधरी पुत्र मखनलाल चौधरी
प्रथम पता:- स्वामियों का मोहल्ला, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान
द्वितीय पता:-वार्ड नंबर 23, श्रीमाधोपुर, पट्टा नं. 144, वार्ड नं. 31(न्यू), स्वामियों
की ढाणी, सीकर, राजस्थान
3. मंजू चौधरी
प्रथम पता:- स्वामियों का मोहल्ला, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 21 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राहुल पारीक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः प्रशांत एंटरप्राइजेज, अशोक कुमार चौधरी पुत्र मखनलाल चौधरी एवं मंजू चौधरी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अशोक कुमार चौधरी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा/लीज डीड नंबर-144, दिनांक 15.04.1996, श्रीमाधोपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन श्रीमाधोपुर, जिला




(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 245 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में नारायण लाल पारीक का मकान, उत्तर दिशा में पवन कुमार चौधरी का मकान एवं दक्षिण दिशा में श्याम सुन्दर चौधरी की पैतृक हवेली स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ₹72,00,000/- (अक्षरे रूपये बहत्तर लाख) एवं ₹20,00,000/- (अक्षरे रूपये बीस लाख) कुल ₹92,00,000/- (अक्षरे रूपये बानवे लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी/अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 17.08.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः प्रशांत एंटरप्राइजेज, अशोक कुमार चौधरी पुत्र मखनलाल चौधरी एवं मंजू चौधरी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अशोक कुमार चौधरी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा/लीज डीड नंबर-144, दिनांक 15.04.1996, श्रीमाधोपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 245 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में नारायण लाल पारीक का मकान, उत्तर दिशा में पवन कुमार चौधरी का मकान एवं दक्षिण दिशा में श्याम सुन्दर चौधरी की पैतृक हवेली स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **21 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मकुल शर्मा)
(मकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर